(10)
Note 4: The suitability of the regular holder of the post of Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) in the pre-revised scale of ₹ 7500-250-12000 prior to upgradation of this post in the pay band-3, ₹ 15600-39100 with grade pay of ₹ 5400 (revised) shall be assessed by the Union Public Service Commission for appointment to the upgraded Group 'A' post. If assessed suitable he shall be deemed to have been appointed to the Group 'A' post of Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) at the initial constitution. If assessed 'not suitable' he shall continue in Group 'B' post and his case shall be revised every year.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Joint Secretary (Official Language) Department of Official Language —Chairman 2. Director, Department of Official Language —Member 3. Director, Central Hindi Training Institute —Member	Consultation with Union Public Service necessary for filling up the posts.

[F. No. 14034/61/2009-OL (Trg.)]

SURAJ BHAN, Director (Training)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

सा.का.नि. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग सहायक अधीक्षक (टेलीफोन) पद के लिए भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग सहायक अधीक्षक (टेलीफोन) समूह "ख" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग सहायक अधीक्षक (टेलीफान) भर्ती नियम, 2002 में—

(i) नियम 2 में—

(क) "पार्श्व" शीर्षक में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतनमान बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) "उक्त पदों की संख्या" में आरंभ होने वाले "स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) नियम 3 में "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" शब्द और अंक के स्थान पर "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(iii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक अधीक्षक (टेलीफोन)	*01 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 ₹ और ग्रेड वेतन 4200 ₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या स्थानीय निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या (ख) जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में इसमे नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से दूर संचार या इंजीनियरी में तीन वर्ष की अवधि के लिए डिप्लोमा; या (ii) केबलिंग कार्य और पशु बटन टेलीफोन उपस्करों की फ्रंटलाइन मरम्मत सहित ई पी ए बी एक्स या ई पी ए एक्स के अनुरक्षण में तीन वर्षीय अनुभव सहित दूर संचार या इलेक्ट्रानिक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से दूर संचार या इलेक्ट्रानिक में पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र । **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों की सरकार की सरकार के अधिकारी प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे । पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या स्थानीय निकायों में कार्यरत अधिकारी आमेलन के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

	(11)
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021/6/2012-स्था.(ख)]

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड 2 में सा. का. नि. 439 तारीख 23 अक्तूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 202, तारीख 12 नवम्बर, 2008 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 7th May, 2014

G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission Assistant Superintendent (Telephones) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission Assistant Superintendent (Telephones) Group 'B' post Recruitment Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission Assistant Superintendent (Telephones) Recruitment Rules, 2002.

(i) in rule 2,—

(a) in the marginal heading for the words "scale of pay", the words "Pay Band and Grade Pay or Scale of Pay" shall be substituted;

(b) in the portion beginning with the words "the number of said post" and ending with the words "the Schedule annexed to these rules", further words "scale of pay", the words "Pay Band and Grade Pay or scale of Pay" shall be substituted;

(ii) in the 3, for the words and figures "columns 5 to 14", the words and figures "column 5 to 13" shall be substituted;

(iii) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Superintendent (Telephones)	01* (2014) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Deputation (including short-term contract) or Absorption	**Deputation (including short-term contract) or Absorption** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Semi-Government or statutory or Autonomous organisations or local bodies:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— (i) diploma in Engineering of three years duration in Telecommunications or Electronics from a recognised Board or Institute or equivalent; or (ii) Industrial Training Institute Certificate in Telecommunications or Electronics or Certificate Course in Telecommunications or Electronics from National Council of Vocational Training with three years experience in maintenance and repair of EP ABX or EP AX including cabling work and frontline repair of push-button telephone instruments. **Note 1 :** The officers of the Central Government or the State Government or Union territory Government shall be eligible for appointment on deputation (including short-term contract) or absorption basis. Officer working in Public Sector Undertakings or

(11)
Semi-Government or Statutory or Autonomous organisations or local bodies shall not be eligible for appointment to the post on absorption basis.
Note 2: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.
Note 4: For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

[F. No. 39021/6/2012-Estt. (B)]

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 439 dated the 23rd October, 2002 and was last amended *vide* number G.S.R. 202, dated the 12th November, 2008.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मई, 2014

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (आर्थोपिटिस्ट) भर्ती नियम, 1985 और विलिंग्डन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां उनका संबंध रेफ्रेक्शनिस्ट के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दृष्टिविज्ञानी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (दृष्टिविज्ञानी-समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।